न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड

उपस्थितः– ज्ञानेन्द्र सिंह यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6237)

UPHP010074392025

Sessions Case/2772/2025

State of U.P. Vs. Shagun

सरकार बनाम सगुन

मु0अ0सं0 268/2025

अ0 धारा 137(2), 65(1) बी0एन0एस0
व 3/4(2) पोक्सो एक्ट,
थाना बाबूगढ ,जिला हापुड ।

07.01.2026 **आदेश (आरोप विरचन के संदर्भ में)**

पुकार कराई गई। पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त सगुन जेरे हिरासत उपस्थित । विद्वान विशेष लोक अभियेाजक को सुना गया। विद्वान विशेष लोक अभियेाजक द्वारा अपने केस का खुलासा किया गया और उस साक्ष्य का उल्लेख किया गया, जिसके द्वारा उन्हे अभियेाजन कथानक सिद्ध करना है ।

पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त सगुन के विरूद्ध 137(2), 65(1) बी0एन0एस0, 3/4(2) पोक्सो एक्ट, के अधीन आरोप विरचन हेतु पत्रावली पर पर्याप्त प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध है । अतः अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओ के अधीन आरोप विरचित किया जाकर वास्ते अभियेाजन साक्ष्य पत्रावली दि0 21.01.2026 को पेश हो । अभियेाजन साक्षीगण तलब हो ।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट/
हापुड।

दि0 07.01.2026

Digitally signed by GYANENDER SINGH YADAV
Date: 2026.01.13 10:17:21 IST
Reason: charge
Location: District and Sessions Court

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड
उपस्थितः– ज्ञानेन्द्र सिंह यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6237)
UPHP010074392025

Sessions Case/2772/2025
State of U.P. Vs. Shagun

सरकार बनाम सगुन
मु0अ0सं0 268/2025

अ0 धारा 137(2), 65(1) बी0एन0एस0
व 3/4(2) पोक्सो एक्ट,
थाना बाबूगढ ,जिला हापुड ।

आरोप

मैं, ज्ञानेन्द्र सिंह यादव ,अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड, एतदद्वारा आप अभियुक्त सगुन पर यह आरोप लगाता हूँ कि –

प्रथमत ::– यह कि दि0 27.09.2025 की शाम करीब 03.30 बजे ग्राम सिमरौली , बहद थाना बाबूगढ जिला हापुड में आपने वादी की अव्यस्क पुत्री ''डी''/पीडिता उम्र करीब 14 वर्ष (16 वर्ष से कम) का उसकी विधिक संरक्षकता से व्यपहरण किया । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो भा0न्याय संहिता की धारा 137(2) के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

द्वितीयत ::– यह कि उपरोक्त दिनांक ,समय व स्थान पर आपने वादी की अव्यस्क पुत्री ''डी''/पीडिता उम्र करीब 14 वर्ष (16 वर्ष से कम)के साथ बलात्संग किया । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो भा0न्याय संहिता की धारा 65(1) के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

तृतीयत ::– यह कि उपरोक्त दिनांक ,समय व स्थान पर आपने वादी की अव्यस्क पुत्री ''डी''/पीडिता उम्र करीब 14 वर्ष(16 वर्ष से कम) पर प्रवेशन लैंगिक हमला कर ऐसा कार्य कारित किया जो पोक्सो एक्ट की धारा 3/4(2) के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

अतएव एतदद्वारा मैं , आपको आदेशित करता हूँ कि उक्त आरोपों के लिये आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट/
हापुड।

दि0 07.01.2026

आरोप अभियुक्त को पढकर सुनाया एवं समझाया गया । अभियुक्त ने आरोप को अस्वीकार किया और विचारण की मॉग की।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट/
हापुड।

दि0 07.01.2026